श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

रामधन रैगर

वित्त नियंत्रक

क्रमांकःएफ03( )/श्रीकनकृविवि/वि.नि./सी. नि./भण्डार/स्टेशनरी/2017-18/9037 दिनांकः 13.03.2018

कोटेशन आमंत्रण सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा ''जब आवश्यकता हो के आधार पर'' विश्वविद्यालय मुख्यालय, जोबनेर स्थित कार्यालयों के उपयोग हेतु स्टेशनरी क्रय हेतु इस क्षेत्र की अनुभवी फर्मो/अधिकृत व्यवहारियों से हेतु कोटेशन आमन्त्रण की तिथि से दिनांक 22.03.2018 दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त कर प्रस्तुत किए जा सकते है अथवा **website : www.sknau.ac.in** से डाउनलोड कर प्रस्तुत किए जा सकते है। प्राप्त कोटेशन उसी दिन क्रय समिति द्वारा दोपहर 3:00 बजे उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जाएँगें। कार्य का विवरण मय अनुमानित लागत व अंतिम तिथि निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	कोटेशन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1.	स्टेशनरी क्रय हेतु	1.00	22.03.2018 (दोपहर 1.00 बजे तक)

इच्छुक कोटेशनदाता उक्त तिथियों के अनुसार अपना कोटेशन प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर सकते है।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
2. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्त नियंत्रक

कोटेशन जमा कराने की तिथि – 22.03.2018

अनुमानित लागत – ₹ 1.00 लाख समय 1.00 बजे तक

स्टेशनरी क्रय हेतु कोटेशन प्रपत्र

1. स्टेशनरी क्रय हेतु कोटेशन।
2. कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित ....
....
....
....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
....
....
....
4. किसको संबोधित किया जाना है – वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
5. कोटेशन सूचना संदर्भ एफ.(17)/श्रीकनकृविवि/वि.नि./भण्डार/2017-18/..............दिनांक ....
6. कोटेशन प्रपत्र के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा **बिक्री** कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है, यदि लागू हो तो।
8. कोटेशनदाता पंजीकृत व्यवसायी हो।
9. हम, वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा जारी की गई कोटेशन सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में दी गई उक्त कोटेशन सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

स्टेशनरी क्रय हेतु कोटेशन प्रारूप एवं अन्य शर्ते

1. कोटेशन सूचना में प्रकाशित शर्ते एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 की शर्तें व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की शर्तें को इस कोटेशन का भाग मानी जाएगी। स्टेशनरी आपूर्ति श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर हेतु होगा।
2. कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'अ'** में स्टेशनरी आपूर्ति हेतु कोटेशनदाता अपनी दरें दर्शाएँ। विश्वविद्यालय के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर स्टेशनरी क्रय के लिए कोटेशन अंकित होना चाहिए। कार्यादेश/क्रयादेश/सूचना प्राप्त होने के दो दिवस अर्थात 48 घण्टे में स्टेशनरी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर करनी होगी।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को आदेशित स्टेशनरी आपूर्ति संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
5. कोटेशनदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य/आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
6. कोटेशनदाता कोटेशन कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा कोटेशन के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
7. कोटेशन प्रपत्र में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। काँट छाँट/ओवर राईटिंग होने पर कोटेशन रद्द की जा सकेगी।
8. किसी भी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को होगा।
9. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
10. क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार स्टेशनरी आपूर्ति कार्य दो दिवस में करना होगा।
11. सफल कोटेशनदाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्टेशनरी आपूर्ति करने मे असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य क्रय अन्य फर्म से करा कर सकेंगे।
12. समस्त कोटेशन प्रपत्र दिनांक 21.03.2018 को 1.00 बजे तक वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर के कार्यालय में प्राप्त किए जाकर स्वीकार किए जाएगें एवं दिनांक 21.03.2018 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जाएँगें। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले कोटेशन प्रपत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।